न्यायालय सत्र न्यायाधीश, मथुरा।
उपस्थित : विकास कुमार–प्रथम, उच्चतर न्यायिक सेवा
जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–463/2026
सोनू सैनी प्रति उत्तर प्रदेश राज्य

आदेश

मुकदमा अपराध संख्या 791/2025, धारा 191(2),109(1),352,351(3), 61(2) भारतीय न्याय संहिता, थाना कोसीकलाँ, जिला मथुरा के प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त **सोनू सैनी** की ओर से स्वयं को जमानत पर रिहा किए जाने के लिए यह जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।

2– जमानत प्रार्थनापत्र पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता, वादी पक्ष के निजी विद्वान अधिवक्ता व विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता–दाण्डिक को सुना, साथ ही पत्रावली का अवलोकन किया।

3– आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र एवं समर्थित शपथपत्र द्वारा प्रवेश सैनी पर बल देते हुए मुख्यतः इस आशय के कथन किए गए हैं कि आवेदक/अभियुक्त पूर्णतः निर्दोष है, उसको मौहल्ले की पार्टीबंदी व रंजिश के कारण झूठा फँसाया गया है। आवेदक/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है, माननीय उच्च न्यायालय या अन्य किसी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है, न ही लम्बित है, न ही खारिज हुआ है, उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, वह पूर्व सजायाफ्ता नहीं है, उसने स्वयं न्यायालय में आत्मसमर्पण किया है और वह दिनांक 29.01.2026 से जिला कारागार, मथुरा में निरूद्ध है, अतः उसे दौरान मुकदमा जमानत प्रदान की जाय।

4– प्रतिवाद में अभियोजन/वादी पक्ष की ओर से केस डायरी व थाना आख्या को संदर्भित करते हुए मुख्यतः इस आशय के कथन किए गए हैं कि प्रस्तुत प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त एवं सह–अभियुक्तगण द्वारा गालीगलौज करना, जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से भाग जाना, सह–अभियुक्त रविन्द्र उर्फ रवि सिरथालिया द्वारा अवैध तमंचे से वादिया मुकदमा श्रीमती इन्दरवती के पुत्र रोहित उर्फ सुक्खा में गोली मार देना, उक्त सह–अभियुक्त की निशानदेही पर उक्त घटना में प्रयुक्त तमंचा बरामद किया जाना आदि आक्षेपित है। डॉ० समीर लाल, जिनके द्वारा उक्त आहत रोहित उर्फ सुक्खा का उपचार किया गया है, ने विवेचक को दिए गए अपने बयान में इस आशय के कथन किए हैं कि दिनांक 28.12.2025 को उक्त आहत भर्ती हुआ, जिसकी दाहिनी छाती पर आग्नेयास्त्र की चोट थी और गोली निकाली गई थी, इसके सी०टी०स्कैन व एक्सरे रिपोर्ट के अनुसार पसलियों में मल्टीपल फ्रैक्चर का होना पाया गया था और चोट की प्रकृति गम्भीर थी। डॉ० चौहान सुनील कुमार, जिनके द्वारा उक्त आहत की पूरक चिकित्सीय आख्या तैयार की गई है, ने विवेचक को दिए गए अपने मजीद बयान में इस आशय के कथन किए हैं कि उक्त आहत की दाहिनी तरफ छाती के ऊपर आग्नेयास्त्र की चोट थी, जिसका कोई निकास घाव नहीं था और चोट की प्रकृति गम्भीर थी। प्रकरण की विवेचना अभी प्रचलित है, समस्त तथ्य सामने आने शेष हैं, अतः आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाय।

5– प्रत्युत्तर में अभियुक्त पक्ष के कथन हैं कि आवेदक/अभियुक्त ने उपरोक्त प्रकार का कोई अपराध नहीं किया है, उसको मौके से गिरफ्तार नहीं किया गया है। आवेदक/अभियुक्त का उक्त घटना से कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं है और घटना के समय वह घटनास्थल पर

Digitally signed by VIKAS KUMAR
Date: 2026.03.24 17:03:16 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

मौजूद नहीं था। मुकदमे की रिपोर्ट विलम्ब से लिखाई गई है। आवेदक/अभियुक्त की उक्त घटना में कोई विशिष्ट भूमिका नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में आवेदक/अभियुक्त द्वारा गोली मारना नहीं दर्शाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में आवेदक/अभियुक्त द्वारा किसी प्रकार का कोई हथियार का प्रयोग करना नहीं दर्शाया गया है और न ही आवेदक/अभियुक्त से किसी प्रकार के हथियार की बरामदगी है। आवेदक/अभियुक्त की कथित घटना में कोई भूमिका नहीं है।

6– हालाँकि प्रथम सूचना रिपोर्ट में सह–अभियुक्त रविन्द्र उर्फ रवि सिरथालिया द्वारा वादिया मुकदमा के पुत्र रोहित उर्फ सुक्खा में गोली मारने का तथ्य स्पष्टतः अंकित है, किन्तु साथ ही इस आशय का तथ्य भी स्पष्टतः अंकित है कि तत्समय आवेदक/अभियुक्त **सोनू सैनी** व उक्त सह–अभियुक्त साथ–साथ ही आए थे और इस आशय के बयान भी अभियोजन साक्षियों द्वारा विवेचक को दिए गए हैं।

जहाँ तक कथित घटना में आवेदक/अभियुक्त की भूमिका का प्रश्न है, यह तथ्य साक्ष्य की विषयवस्तु है।

आवेदक/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में स्पष्टतः नामित है और उसकी ओर से कथित रूप से स्वयं को झूठा फँसाए जाने का कोई यथोचित कारण भी दर्शित नहीं किया गया है, अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करने के उपरान्त, बिना प्रकरण के गुण–दोष पर जाए, आवेदक/अभियुक्त को जमानत प्रदान किए जाने का कोई न्यायोचित आधार प्रतीत नहीं होता है।

निष्कर्षतः आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किए जाने योग्य है, निरस्त किया जाता है।

कार्यालय लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि वह इस जमानत आदेश की सॉफ्ट कॉपी अधीक्षक, जिला कारागार, मथुरा को ई०मेल districtjailmathura@gmail.com पर आवेदक/अभियुक्त के अभिलेख हेतु प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

दिनांक–24.03.2026

(विकास कुमार–प्रथम)
सत्र न्यायाधीश, मथुरा।
I.D.No.U.P. 1910

अटल राम चतुर्वेदी